10-2-26

अभियोजन अधिकारी मय परिवादी अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त मकसूद मय अधिवक्ता उपस्थित, जबकि मकसूदा P/W से अनुप०/ P/W प्राप्त जिस पर आगामी पेशी वास्ते पेशी बढ़ाई गई।

अभियोजन ने मार्फत परिवादी सूचना गवाह शिवजी गौरा की हाजिरीमाफी पेश की तथा निवेदन किया कि आज गवाह शादी में जोधपुर गया है जबकि पूर्व में उपस्थित रहा है। नकल दिलाए जाने पर अभियुक्त अधिवक्ता की आपत्ति रही है कि पूर्व में भी अभियोजन ने नियत साक्षीयों को समयबद्ध रूप से प्रस्तुत नहीं किया है एवं अभियुक्त पक्ष ने सद्भावना वश अवसर दिए जाने पर अनापत्ति भी दी परन्तु अभियोजन ने इसे एक व्यवस्था का

PTO

Number of Case .... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ...
	व्यक्त किया है एवं अभियुक्त के त्वरित विचारण के युक्त अधिकार को ताक में रखकर तारीख पड़ी जाया की है ताकि इसका व्यवहार इस प्रकरण को त्वरित अनिस्तारण के होने से P.W. पर लागू किया जाता है एवं यह कि गवाह मुर्की में प्रथम भी स्थापित हुआ, उसकी पहचान तस्दीक बाकी रही, आज भी प्रार्थनापत्र के साथ कोई दस्तावेज पेश नहीं है कि किस परिस्थिति की आड़ में गवाह जाना है, जिससे कि यह भी सुनिश्चित नहीं हो सकती की गवाह की शादी में जाना अभियुक्त के त्वरित विचारण के अधिकार से अधिक महत्वपूर्ण हो। साक्ष्य बंद किए जाने का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। गवाह [illegible] द्वारा मुर्की में यद्यपि स्थापित गवाह [illegible] परन्तु उसकी पहचान तस्दीक किया जाना शेष था। अभियोजन को बार-2 समयबद्ध रूप से गवाहान को प्रस्तुत करने वाले [illegible] दिया एवं [illegible] पत्रावली [illegible] धारा 311 CrPC प्रार्थनापत्र पर है। [illegible] कुल 22 गवाह के अभियोजन को प्रस्तुत करने थे, जिनमें से मात्र 2 गवाह परीक्षित हुए है। Target पत्रावली में नियत तारीख पर साक्ष्य Exemption मांगते समय "रिश्तेदारी में वैवाहिक कार्यक्रम" बताया उचित नहीं होगा, क्योंकि [illegible] P.T.O.	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	निश्चित विवरण देने चाहिए थे कि जब न्यायालय द्वारा गवाह परीक्षार्थ वास्ते तारीख पेशी दि. 04/02/26 को ही नियत की गई थी, तत्पश्चात आज दिनांक वास्ते निवेदन क्यों नहीं किया गया कि आज गवाह उपस्थित नहीं हो पाएगा। वैवाहिक कार्यक्रम अचानक हुए event की श्रेणी में नहीं है, अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। गवाह लिखी मौर्य की साक्ष्य बंद की जाती है। आगामी पेशी पर अभियोजन धारा 311 BNSS प्रा०प० के अनुसार सूची सं. (4) इमरान निवासी नयाशहर किशनगढ़ को प्रस्तुत करे। किसी भी कारण से यदि इमरान उक्त दिनांक को उपस्थित नहीं हो सके तो क्रमांक (5) पर गवाह भागचंद अन्यथा गवाह (6) रामेश्वर को प्रस्तुत किया जा सकेगा। अभियोजन को आगामी पेशी पश्चात यह भी स्वतन्त्रता दी जाती है कि शेष साक्षीगणों के परीक्षण क्रम वास्ते वह साक्षीगणों की उपलब्धता पूर्व में ही प्राप्त कर न्यायालय को निवेदन कर सकेंगे, जिससे की नियत पेशी पर प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न हो सके। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 20/02/26 को पेश हो (हस्ताक्षर) वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, किशनगढ़ जिला अजमेर	